



जैन आगम साहित्य में चित्रत राजतिलक समारोह व उत्तराधिकार नियम

Prof Dr B L Sethi

M.Phil, Ph.D, D.Litt., Director, Trilok Institute of Higher Studies and Research, Hotel OM Tower, Church Road, M I Road, Jaipur-302001

Smt. Lalita Yadav

Scholar, Research JTT University Jhunjhunu Rajasthan

राजतिलक समारोह का भी जैन आगम पुराण साहित्य में आचार्य जिनसेन के आदिपुराण में पूर्णतया वर्णन आया है। इस अवसर पर नगर को ध्वजा और पताकाओं से सजाया जाता था। आनन्दभेरी बजती थी वीरवनिताएँ मंगलगान करती और देवांगनाओं द्वारा नृत्य किया जाता था, बन्दीजन मंगलपाठ करते थे और चारों ओर से जय जीत की घोषणा की जाती थी।

राजतिलक समारोह की क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिये सभामण्डप के मध्यभाग में मिट्टी की वेदी बनायी जाती थी इस वेदी पर एक आनन्दमण्डप का निर्माण किया जाता था। इस आनन्दमण्डप के ऊपर रत्नों के चूर्ण समूह से रंगावलि तैयार कर शिवावलि तैयार की जाती थी और नाना प्रकार के विकसित सुगन्धित पुष्प वहाँ फैला दिये जाते थे। मणियों से जड़ित फर्श के ऊपर मोतियों की वन्दनवारे लटका दी जाती थी और रेशमी वस्त्र के चंदोवे सभी और टांग दिये जाते थे। इस मंडप के मध्य भाग में अष्टमंगलद्रव्य स्थापित किये जाते थे और देवांगनाएँ मंगलद्रव्य को लेकर अवस्थित रहती थी। स्नान की सामग्री एक दूसरे के हाथों में दी जाती थी। लीलापूर्वक पैर में नूपुर पहनकर देवांगनाएँ रून्धुन करती हुई भ्रमण कर रही थी। उनके नूपुरों की ध्वनि बहुत ही मधुर और आनन्दमयी प्रतीत हो रही थी। उत्तराधिकार मिलने वाले राजकुमार को रंगभूमि में सिंहासन स्थापित कर पूर्वदिशा की ओर मुख करके बैठाया जाता था। गन्धर्व मनोहर गान करते थे तथा मंगल वाद्यों की ध्वनियाँ आनन्द का सृजन कर रही थी। नृत्यांगनाएँ अभिषेक क्रिया सम्पन्न होने वाले परिवार का गुणगान करती थी। सामन्त और अधीनस्थ राजन्यवर्ग ओषधिमिश्रित सुवर्ण कलशों में रखे गये जल से अभिषेक-क्रिया सम्पन्न करते थे। अभिषेक क्रिया के लिए गंगा, सिन्धु आदि नदियों का जल लाया जाता था। पुण्यमय गंगाकुण्ड से और सिन्धुकुण्ड से भी जल लाया जाता था।

सरस्वती आदि अन्य नदियों से तथा स्वच्छ और निर्मल कुण्डों से जल लाया गया था। वापीजल केंसर कुंकुम युक्त जल, लवणसमुद्र, नन्दीश्वरदीव आदि प्रसिद्ध स्थानों का जल लाया गया था। इसके अतिरिक्त क्षीरसागर, नन्दीश्वर समुद्र और स्वयम्भूरमण समुद्र का जल भी लाया जाता था। सरयू का जल, तीर्थजल, कषायजल, सुगन्धित द्रव्य मिश्रित जल एवं गर्म कुण्ड का जल लाया गया था। इस तीर्थानीत जलद्वारा केशर, कस्तूरी, चन्दन तथा अनेक जड़ी बूटियाँ मिश्रित कर जलाभिषेक किया जाता था। बन्दीजन मंगलपाठ करते थे और उत्तराधिकार प्रदान करने वाले महाराज उत्तराधिकारी को अभिषेक के अनन्तर पद बांधते थे। तथा नाना प्रकार के सुन्दर वस्त्राभूषण भी प्रदान किये जाते थे। उस अवसर पर धार्मिक विधि-विधान भी सम्पन्न होता था।

दूत
आदिपुराण में दूत का उल्लेख कई रूपों में आया है। जिस दूत में अमात्य के सम्पूर्ण गुण विद्यमान हो उसे निःसुप्तार्थ, 2 जिसके चौथाई गुण कम हो उसे परमितार्थ और जिसमें आधे गुण कम हो उसे शासनार्थ दूत कहा जाता है।

राजदूत को चाहिए कि वह शत्रु देश के वनरक्षक, सीमाक्षक, नगररक्षक, नगरवासियों और जननदवासियों से मित्रता करे। शत्रु देश की राजधानी, दुर्ग, राज्यसीमा, आय, उपज, आजीविका के साधन राष्ट्ररक्षा के तरीके एवं वहाँ के गुप्त भेदों की दूत को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। शत्रु राजा के देश में प्रवेश करने के पूर्व वहाँ के राजा से उसे आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वहाँ अपने कार्य में सिद्धी प्राप्त कर सकेगा।

गुप्तचर
आदिपुराण में गुप्तचरों को राजा का चक्षु कहा गया है। नेत्र तो केवल मुख की शोभा ही बढ़ाते हैं और पदार्थों को देखने का ही कार्य करते हैं पर गुप्तचर रहस्यपूर्ण बातों का पता लगाकर राज्यशासन को सुदृढ़ बनाते हैं। वर्णन आया है—3

- (1) गुप्तचर राज्य-व्यवस्था एवं शासन-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक है।
- (2) प्रजा के सुख एवं उसकी शांति में बाधा उत्पन्न करने वालों का पता गुप्तचरों द्वारा ही लगता है।
- (3) प्रमुख सूचनाओं को एकत्र कर गुप्तचर राजा के पास पहुँचाते हैं।

शासन में विघ्न या गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले की जानकारी गुप्तचर विभाग से ही प्राप्त होती थी। स्वराष्ट्र और परराष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्थाएँ और सूचनाएँ एकत्र करने का कार्य

गुप्तचर विभाग ही करता था। शासन संचालन के लिए कौटिल्य ने भी सन्धि, विग्रह, चतुरपाय और तीन शक्तियों को उपयोगी माना है।

अन्तःपुर और कन्चुकी

कन्चुकी उस समय राजा के अन्तःपुर का रक्षक होता था और वह राजकुमारियों के स्वयंवर के समय स्वयंवर मण्डप में उपस्थित राजा व राजकुमारों का परिचय देने का कार्य करता था। आदिपुराण में श्रीमती के स्वयंवर के प्रसंग में इसी कार्य को करने वाले कन्चुकी का उल्लेख है। राजा के अन्तःपुर में अनेक रानियाँ होती थी। वे बारी-बारी से राजा के दास भवन में जाती थी।

अस्त्र-शस्त्र

आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण में अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के नाम और कहीं-कहीं उनकी निर्माण सामग्री का भी उल्लेख किया है। इन अस्त्र-शस्त्रों में तलवार, तीर आदि के साथ ही मुद्गर, भुशुण्डी, फरसा, त्रिशूल, अल, भिन्दिमाल, वावल्ल, सेल, झस, शक्ति, मूसल, सवल्ल, (लोहे का भाल), चक्र, पास, कोत, धनधन मुख है। इन समस्त अस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख जैन आगम साहित्य में भी हुआ है। 14 आचार्य जिनसेन ने मेघपुत्र और सुनमि के युद्ध में अनेक प्रकार के बाणों और प्रतिबाणों का उल्लेख किया है। अन्धकार बाण सब जगह अन्धेरा कर देता था और लोग आलस्य के कारण जम्हाइयाँ लेने लगते थे परन्तु उस बाण का प्रभाव दिनकर बाण से नष्ट कर दिया जाता था। इस प्रकार सिंह तीर का स्वापद तीर से, अग्नितीर का मेघ तीर से, पर्वत तीर का ब्रज तीर से, सर्प तीर का गरुड तीर से, महीधर तीर का अग्नितीर से, गजतीर का सिंह तीर से, प्रभाव समाप्त किया जाता था। इन तीरों के अग्र भाग पर अधिकांशतः लोहे के नुकीले फलक लगाये जाते थे और इनकी गति को तेज करने के लिए पीछे पंख लगा दिये जाते थे। आदिपुराण में राजा की दिनचर्या में प्रतिदिन विविध प्रकार के आयुधों, भवनों के निरीक्षण का विवरण मिलता है।

लौह, चर्म, काष्ठ, कपास एवं शल्क आदि से अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण किया जाता था। सामान्यतः काष्ठ और लौह का ही प्रयोग सर्वाधिक होता था। भुजत्राण-बाहु की रक्षा का शस्त्र, शिरस्त्राण- शिर को बचाने की लोहे की टोपी और अङ्गत्राण - कवच का भी प्रयोग किया जाता था। सेना में कुछ खड्ग, कुछ बरछा, कुछ भाला, चक्र एवं मुद्गर धारण करने वाले, कुछ शक्तिशूल धारण करनेवाले और कुछ असिधेनु का आदि धारण करने वाले सैनिक रहते हैं। आदिपुराण में निम्न अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग पाया जाता है—

अग्निवाण (अग्नि के समान तीक्ष्णबाण), अमोघवाण (कभी व्यर्थ न पड़ने वाले बाण), अग्नि, असिधेनुका, आग्नेयवाण, कपिशोर्पक धनुष, कुन्त (वर्छा), कृपाण, कौक्षेयक (तलवार), ककच (आर), खग (वाण), गजवाण, चक्र, चण्डवेगदण्ड, चर्मरत्न, चाप, जलवाण, तमोवाण, दण्ड, धनुषवाण, निर्घात (वज्र), पवनवाण (भाल), प्रास, भूतमुखखेट, मनोवेगकषाय, मुद्गर, मेघवाण, यष्टि, लकुट, लोलवाहिनी असिपुत्रिका, वज्र, वज्रकाण्ड धनुष, वज्रतुण्डा शक्ति, विशिख, व्यस्त्र (महास्तम्भक दिव्यास्त्र), शस्त्र, सिंहवाण, सुदर्शन चक्र, सूर्यवाण, सौनन्दिक तलवार, इन अस्त्र-शस्त्रों के अतिरिक्त सैन्य सम्बन्धी निम्नलिखित सामग्री भी उपलब्ध होती है—

अजितंजय रथ (चक्रवर्ती रथ), अभेद्य कवच (द्वैतीयमान एवं वाणों से भेदा न जाने वाला), असिकोष, आयुध, आयुधालय, कवच, टोप, तनुत्रिक, (शरीर पर धारण करने वाला कवच), तस्रक (तलवार की मूठ), निगड (वेडी), निषंग, पूतना, बल, वैसाखस्थान (वाण चलाने का स्थान), शख्य (निशाना), शस्त्रात (वाणसमूह), शिरस्त्र (शिर को बचाने वाली टोपी), सन्नाह (शरीर पर धारण करनेवाला कवच), सर्वायुध, संवर्मित (कवच धारण किये हुए सैनिक)।

उत्तराधिकार नियम

राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। यदि ज्येष्ठ पुत्र योग्य नहीं होता तो छोटे पुत्र को राजसिंहासन दे दिया जाता था। राजा की मृत्यु के बाद ही उसका पुत्र राजा का उत्तराधिकारी होता था। राजागण अपने पुत्र को राज्यभार सौंप कर दीक्षा ग्रहण किया करते थे।

राजा व राजपुत्रों के आपसी सम्बन्धों के सम्बन्ध में आदिपुराण से ज्ञात होता है कि राजा राजपुत्रों में उत्तराधिकार प्राप्त करने की लोलुपता के कारण उनसे हमेशा शक्ति और भयभीत रहता तथा उन पर कठोर नियन्त्रण रखता था। फिर भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि कुछ महत्वाकांक्षी राजपुत्र अवसर पाकर येनकेन प्रकारेण राजा से राजगद्दी छीनकर

या राजा की हत्या करके राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं। इस प्रकार एक तरफ राजा राजपुत्रों से आशंकित तथा भयभीत रहता था तो वहीं दूसरी तरफ राजपुत्रों के भयभीत होने के प्रसंग भी जैन आगम में बहुतायत से मिलते हैं। जैसा कि कौटिल्य विधान में कहा गया है कि राजा को केंकडे के समान अपने पुत्रों से सावधान रहना चाहिए और उत्श्रृंखल राजकुमारों को किसी निश्चित स्थान या दुर्ग आदि में बन्द करके रखना चाहिए। परिणाम स्वरूप ऐसी दशा में राजकुमार राजा के भय से आक्रान्त रहते थे।

1. आचार्य जिनसेन - "आदिपुराण" 37/160-170, 84, 44/81, 121, 180, 189, 143, 240, 242. 5/113, 250, 3/172, 105, 10/56, 59, 73, 4/175, 176
2. आदिपुराण 37/85, 165, 36/14, 80, 138 डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री - "आदिपुराण में प्रतिपादित भारत" पृष्ठ -374-375
4. शुक नीति 1/323
5. आदिपुराण 4/868-869
6. आदिपुराण 10/198-199